प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 09.03.2025

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस की अवैध शराब बेचने एवं शराब बनाने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही-

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार शराब बनाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा की गई शराब बनाने वालों पर कार्यवाही-

थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा अवैध देशी/ अपमिश्रित शराब बनाने/बेचने वाले से 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

मौके से अभियुक्तों के कब्जे से 03 प्लास्टिक की पिपिया/ गैलन में कुल 70 लीटर अवैध कच्ची/ अपमिश्रित शराब बरामद,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों, आगामी त्योहार के दृष्टिगत अवैध शराब निष्कर्षण/ विक्रय के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर के प्रभारी निरीक्षक श्री दीप नारायण के नेतृत्व में,

आज दिनांक-09.03.2025 को व0उ0नि0 श्री रामनारायण सिंह मय हमराह का ० रामचरन प्रजापति व का0 रामलखन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त करमचन्द्र गौतम पुत्र स्व0 रामदुलारे निवासी पूरेधनऊ देहंगरी जमालपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत पूरेधनऊ चौराहा के पास से 02 गैलन मे 50 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में थाना मानिकपुर के उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव मय हमराह का ० रामकिशन राणा, का0 जगत सिंह, का० आकाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त कमलेश कुमार उर्फ बडकू पुत्र भैरव प्रसाद निवासी ग्राम गिरधारी का पुरवा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत गिरधारी का पुरवा के पास स्थित आम के बगीचे से 01 गैलन में 20 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना मानिकपुर पर अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

01. करमचन्द्र गौतम पुत्र स्व0 रामदुलारे निवासी पूरेधनऊ देहंगरी जमालपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ ।02. कमलेश कुमार उर्फ बडकू पुत्र भैरव प्रसाद निवासी ग्राम गिरधारी का पुरवा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्तों के कब्जे से लीटर की 03 प्लास्टिक की पिपिया/ गैलन में कुल 70 लीटर अवैध कच्ची/ अपमिश्रित शराब बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

व0उ0नि0 श्री रामनारायण सिंह मय हमराह उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव मय हमराह का ० रामकिशन राणा, का0 जगत सिंह, का० आकाश यादव, का० रामचरन प्रजापति व का0 रामलखन यादव थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़ ।

थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

सोशल मीडिया पर अवैध तमंचा के साथ वायरल फोटो से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से तमन्चा व कारतूस बरामद ।

थाना कन्धई पुलिस द्वारा 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत रामपुर कांपा नहर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना कन्धई के प्रभारी निरीक्षक श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह आरक्षी अमित प्रताप सिंह चालक हो०गा० कलिका विशाल दुबे द्वारा दि0-08.03.2025 को देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/ वारण्टी अभियुक्त व चेकिंग के दौरान मूखबिर की सूचना पर सोशल मीडिया पर अवैध तमंचा के साथ वायरल फोटो से संबंधित 01 अभियुक्त लवकुश सरोज पुत्र विनोद सरोज निवासी ग्राम रामपुर कांपा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रांतर्गत रामपुर कांपा नहर के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के निशांदेही अभियुक्त के घर के पास बांस के झाड़ियों से पन्नी में रखी 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया ।

उक्त गिफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना अन्तू में मु0अ0सं0 46/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि ये तमंचा मेरा ही है मेरे गांव में मेरे परिवार की दुश्मनी कई लोगों से है इसलिए मैने इसे रखा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- लवकुश सरोज पुत्र विनोद सरोज निवासी ग्राम रामपुर कांपा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह आरक्षी अमित प्रताप सिंह चालक हो०गा० कलिका विशाल दुबे थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास आर्म्स एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

अभियुक्त को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रकटनाथ मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रतनमई निवासी वादी को आरोपीगणों द्वारा बाजार जाते समय रास्ते में रोक कर गाली गलौज/ फायर कर घायल करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0-195/24 धारा-126(2), 109, 352, 351(2) बीएनएस बनाम 01 नामजद व 02 अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री शत्रुघ्न वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 जगदीश प्रसाद, का0 जितेन्द्र कुशवाहा द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त रजनीश यादव पुत्र महेन्द्र प्रसाद यादव निवासी ग्राम बरचौली थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थाना दिलीपपुर क्षेत्रांतर्गत प्रकटनाथ मंदिर के पास से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को थाना दिलीपपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-195/24 धारा-126(2), 109, 352, 351(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय क समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रजनीश यादव पुत्र महेन्द्र प्रसाद यादव निवासी ग्राम बरचौली थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 जगदीश प्रसाद, का0 जितेन्द्र कुशवाहा थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद- प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल, अवैध 01 तमंचा व 01 जिंदा कारतूस बरामद।

अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत जेठवारा तिराहा के बगल नहर पुलिया के पास से किया गया गिरफ्तार।

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 हेमंत यादव मय हमराह उ0नि0 वारिज, का0 नरेंद्र सिंह, का0 अमन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान मूखबिर की सूचना पर अभियुक्त सुधांशू पाण्डेय उर्फ बिगड़ा सुत राजेन्द्र पाण्डेय उर्फ टंकी नि० ग्राम खपरैलन का पुरवा थाना जेठवारा प्रतापगढ़ को चोरी की मोटर साइकिल के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत जेठवारा तिराहा के बगल नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर दिनांक 09.03.2025 को थाना जेठवारा में मु0अ0सं0-35/2025 धारा- 317 (2), 318(4), 336(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 01 नामजद पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त सुधांशू पाण्डेय उर्फ बिगड़ा उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि इस मोटर साइकिल को मैने करीब 1 वर्ष पूर्व भिटारा बाजार बाघराय से चुराया था। इस बाइक की नंबर प्लेट बदलकर अपने घर पर खड़ी कर रखी थी। जब मुझे जरूरत पड़ती है तो इस मोटर साइकिल को चलाता हूं। मेरे पास फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटर साइकिल व एक अवैध तमंचा है पकड़े जाने के डर से आप लोगों को देखकर मैं भागने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.सुधांशू पाण्डेय उर्फ बिगड़ा सुत राजेन्द्र पाण्डेय उर्फ टंकी नि० ग्राम खपरैलन का पुरवा थाना जेठवारा प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01.चोरी की 01 मोटर साइकिल स्प्लेण्डर बरामद।

02.अवैध 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम– उ0नि0 हेमंत यादव म य हमराह उ0नि0 वारिज, का0 नरेंद्र सिंह, का0 अमन यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस की अवैध शराब एवं शराब बनाने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार शराब बनाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा की गई शराब बनाने वालों पर की गई कार्यवाही

थाना लीलापुर पुलिस टीम द्वारा अवैध देशी/ अपमिश्रित शराब बनाने/ बेचने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार,

मौके से 04 प्लास्टिक की बाल्टी/ पिपिया/ गैलन में कुल 90 लीटर अवैध कच्ची/ अपमिश्रित शराब व शराब बनाने का उपकरण बरामद, मौके पर 400 किलो लहन को नियमानुसार कराया गया नष्ट

अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हण्डौर बल्दियान व खलहिया से गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों, आगामी त्योहार के दृष्टिगत अवैध शराब निष्कर्षण/ विक्रय के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अरुण सिंह के नेतृत्व में,

उ0नि0 गिरीशधर दूबे मय हमराह हे0का0 अजय प्रजापति, का० राहुल सिंह द्वारा आज दिनांक-09.03.2025 को देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त रामकुमार पुत्र मोती लाल नि0ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बल्दियान हण्डौर से 02 प्लास्टिक की पिपिया/ बाल्टी में 50 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके पर कच्ची शराब बनाने की भट्टी व उपकरण बरामद किया गया। साथ ही 200 किलो लहन नियमानुसार सावधानी पूर्वक नष्ट कराया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह का० अजय कुमार का0 बाबूलाल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त राम सेवक पुत्र स्व0 मथुरा निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हण्डौर खलहिया से 02 प्लास्टिक की पिपिया/ बाल्टी में 40 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित

शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके पर कच्ची शराब बनाने की भट्टी व उपकरण बरामद किया गया। साथ ही 200 किलो लहन नियमानुसार सावधानी पूर्वक नष्ट कराया गया।

उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना लीलापुर पर अन्तर्गत धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

01. रामकुमार पुत्र मोती लाल निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ।

02. राम सेवक पुत्र स्व0 मथुरा निवासी ग्राम बल्दियान हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी का विवरण-

01. 04 प्लास्टिक की पिपिया/ बाल्टी/ गैलन में कुल 90 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब बरामद।

02. शराब बनाने के भट्ठी व उपकरण बरामद।

03. कुल 400 किलो लहन।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 गिरीशधर दूबे मय हमराह हे0का0 अजय प्रजापति, का० राहुल सिंह थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह का० अजय कुमार का0 बाबूलाल यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज के उ0नि0 दिलीप कुमार पाल मय हमराह का0 नीरज कुमार, का0 अजय कुशवाहा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0नं0 415/22 धारा 323/504/506/451/427 भादवि थाना नवाबगंज से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त मो0 मुस्लिम पुत्र युसुफ निवासी बडौरा अस्थान थाना नवाबंगज, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो0 मुस्लिम पुत्र युसुफ निवासी बडौरा अस्थान थाना नवाबंगज, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ0नि0 दिलीप कुमार पाल मय हमराह का0 नीरज कुमार, का0 अजय कुशवाहा थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर व साइबर थाना प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सर्विलांस व साइबर थाना के सहयोग से 01 गुमशुदा को उसके परिजनों को किया गया सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा गुमशुदा की तलाश हेतु स्थानीय पुलिस को दिए थे सख्त निर्देश-

दिनांक 05.03.2025 को समय लगभग 1.00 बजे वादी का पुत्र उम्र 16 वर्ष, जो अपने घर से नवाज पढने हेतु जिरयामऊ मोड के पास मस्जिद के लिए निकला था, परन्तु शाम तक घर वापस न आया। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 137(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया था।

गुमशुदा की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए गये थे। स्थानीय पुलिस द्वारा सर्विलांस व साइबर थाना की मदद से सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रानिक व मैनुअल साक्ष्य के आधार गुमशुदा की तलाश/ खोजबीन की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर अर्जुन सिंह के नेतृत्व मेंआज दिनांक 09.03.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सर्विलांस सेल, साइबर थाना के सहयोग से थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन के पास से गुमशुदा को बरामद किया है। बरामदगी के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड को सूचना दी गयी। किशोर न्याय बोर्ड की टीम व गुमशुदा के परीजन के थाने पर आने के बाद गुमशुदा को उसके परीजनों को सुपुर्द किया गया।

बरामद करने वाली टीम-

1- उ0नि0 लक्ष्मीकान्त शर्मा, उ0नि0 अनूप यादव, का0 मलखान व का0 अनिकेत दिनकर थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।

2- आरक्षी प्रवीन, का0 अनुपम, का0 सनोज सर्विलांस सेल प्रतापगढ़।

3- आरक्षी दिग्विजय साइबर थाना प्रतापगढ़।